

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रजिस्व में वभिन्नि क्षेत्र अधसूचति

चर्चा में क्यों?

- 22 सतिंबर, 2023 को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परविरतन मंत्रालय, नई दलिली द्वारा वन्य-प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रजिस्व में वभिन्नि क्षेत्रों को अधसूचति कथिा गया है।

प्रमुख बदि

- केंद्र सरकार द्वारा केन-बेतवा लकि परयिोजना की प्रदाय की गई सूवीकृत में अधरिपति की गई शर्त के पालन में ज़लिा सागर, दमोह एवं नरसहिपुर में पूरव से अधसूचति नौरादेही अभयारण्य को वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य के क्षेत्र को सम्मलिति कथिा है।
- वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य मध्य प्रदेश का सातवाँ टाइगर रजिस्व है। टाइगर रजिस्व का 1414.00 वर्ग कलिोमीटर क्षेत्र को कोर क्षेत्र तथा 925.120 वर्ग क.मी. क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में अधसूचति कथिा गया है।
- अधसूचति बफर क्षेत्र में नौरादेही एवं वीरांगना दुर्गावती अभयारण्यों का पूरव से अधसूचति ईको सेंसेटवि जोन एवं आस-पास के वनक्षेत्र को शामिल कथिा गया है।
- इस टाइगर रजिस्व में अन्य कोई नया राजसूव क्षेत्र शामिल नहीं कथि जाने के कारण टाइगर रजिस्व के आस-पास के स्थानीय लोगों पर कोई अतरिकित प्रतबिंध नहीं लागू कथि जाएंगे। टाइगर रजिस्व में पूरव से ही अधसूचति अभयारण्य क्षेत्र अथवा ईको सेंसेटवि क्षेत्र को शामिल कथिा गया है।
- इस टाइगर रजिस्व की स्थापना से इन वनों से प्राप्त होने वाली पारस्थितिकीय सेवाओं (Eco-system Services) की नरितर उपलब्धता सुनश्चिति होगी, जो वर्तमान
- भावी पीढ़ियों के लथि पारस्थितिकीय सुरक्षा प्रदान करेगी।



